राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान......धनपाल...........बनाम.......गोविन्द..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म के ज
11.12.23	पत्रावली पेश। अपीलांट द्वारा दिनांक 8/11/23 को प्रथम पेशी पर प्रकरण में उपस्थित होकर केवियटर को नोटिस पेश किये। दिनांक 20/11/23 को केवियटर द्वारा एवं 28/11/23 को अपीलांट द्वारा बहस हेतु समय चाहा और दिनांक 5/12/23 को अपीलांट द्वारा पुनः बहस हेतु समय चाहा जो दिया जाकर दिनांक 11/12/23 को आवश्यक रूप से बहस करने हेतु अपीलांट को सूचित कर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बावजूद बहस हेतु नियत दिनांक 11/12/23 को अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ, केवियटर अधिवक्ता उप०। इनके द्वारा अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर अपील खारिज करने पर जोर दिया। प्रकरण मे अपीलांट का उप० नहीं होना यह दर्शित करता है कि इनकी अपील चलाने मे कोई रूचि नहीं है और न ही न्यायालय के निर्देशो के पालना करने मे रूचि है। जो पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है। आज दिनांक 11/12/23 को सुनवाई हेतु बार बार रूक रूक कर न्यायालय समय समाप्त होने तक अपीलांट को आवाज दिलायी गयी। लेकिन न तो अपीलांट स्वयं और न ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अतः इनको स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण अपील चलाने मे रूचि होना नहीं मानते हुये सिवील प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 एवं आदेश 17 नियम 2 के अनुसरण में अपील अपीलांट अदम पैरवी, अदम हाजरी मे - लगातार -	

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान.......धनपाल.........बनाम.......गोविन्द.......................

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारीज की जाती है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner